न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/180/2016

उनवान

1. देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर जरिये निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

अपीलाण्ट

बनाम

1. चोखा पुत्र नाथू गुर्जर निवासी करणगढ, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार, जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण
संख्या 187/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री ओमप्रकाश सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. .श्री गोपाल अजमेरा,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 3.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करणगढ पटवार हल्का तिलोली तहसील आसीन्द की साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, भूमि जमाबंदी संवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2009 से 2013 व संवत 2015 से 2018 में नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्थान जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 लागू हुआ उस वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ उस वक्त भी नाथू पिता रामा बतौर काश्तकार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी पुश्तैनी होकर वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजूद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रचलित कानून से परे जाकर भू प्रबन्ध में गैर कानूनी रूप से अपने अधिकारों से परे जाकर श्री रूपनारायण जी स्थान देह खातेदार पुजारी सीताराम श्री नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह खडमदार के नाम दर्ज कर दी गई है। वादग्रस्त आराजी के नये नम्बर 1447 रकबा 0.32 हेक्टर दर्ज किये गये । जिसे वादी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि होने के कारण एवं नाथू पिता रामा का देहान्त हो जाने से वादी के नाम दर्ज कराई जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मामले में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया था व उक्त भूमि रूपनारायण जी स्थान की देवस्थान की भूमि है व यदि मामले में अपीलार्थी को अपनी पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो देवस्थान को देवस्थान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की भूमि से वंचित होना पडेगा। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया व इसके पश्चात अपीलार्थी को जानकारी होने पर राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी चाही गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मामले की अपील पेश करने की हिदायत दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एवं नकल की प्रति दिनांक 21.7.2016 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात श्री रूपनारायण देह स्थान की है एवं देवस्थान मामले में आवश्यक पक्षकार थे उसके बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । देवस्थान को पक्षकार बनाये बिना ही देवस्थान की भूमि के बारे में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मौजा करणगढ की आराजी नम्बर 1477 रकबा 0.32 हेक्टेयर जो कि देवस्थान रूपनारायण जी स्थान देह मन्दिर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी व मन्दिर चारभुजा जी एवं श्री रूपनारायण जी सेवत्री राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मन्दिर होते हुए एवं उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की पुश्तैनी नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि हाल आराजी नम्बर 1477 के साबिक आराजी नम्बर 196 संवत 2009 से 2013 एवं 2015 से 2018 में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता के नाम पर दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि रूपनारायण जी स्थाान देह के नाम पर होकर केवल मात्र माफी पुजनार्थ रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता का नाम दर्ज था। माफी पूजनार्थ दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता की खातेदारी अधिकार की आराजी नही हो जाती है। चूंकि रूपनारायण जी मूर्ति स्थान देह जो कि एक नाबालिग की श्रेणी में आती है एवं जो रूपनारायण जी के मन्दिर की सेवा चाकरी करता है व ही जमीन की देखभाल करता है, जिसके आधार पर देखभाल करने वाले को कोई हक अधिकार नहीं मिलते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, भूमि जमाबंदी संवत 2009 से 2013 व संवत 2015 से 2018 में नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्थान जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 लागू हुआ उस वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ उस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वक्त भी नाथू पिता रामा बतौर काश्तकार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी पुश्तैनी होकर वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजूद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रचलित कानून से परे जाकर भू प्रबन्ध में गैर कानूनी रूप से अपने अधिकारों से परे जाकर श्री रूपनारायण जी स्थान देह खातेदार पुजारी सीताराम श्री नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह खडमदार के नाम दर्ज कर दी गई थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण पुनः वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. वादग्रस्त साबिक 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1477 रकबा 0.32 हेक्टेयर है। उक्त आराजी संवत 2009 से 2013 एवं 2015 से 2018 में भूधारक के कॉलम में श्री रूपनारायण जी स्थान सेवंत्री एवं सीताराम सेवंत्री पुजारी दर्ज है एवं काश्तकार के कॉलम में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पिता नाथू वल्द रामा गुर्जर का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पिता नाथू वल्द रामा की पुश्तैनी एवं खातेदारी की आराजी नहीं होकर नाथू वल्द रामा बतौर पुजारी वादग्रस्त आराजी पर काश्तकार थे। वादग्रस्त भूमि श्रीरूपनारायण जी स्थान देह की होकर मूर्ति नाबालिग होने से देवस्थान विभाग को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। चूंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.2012 अपास्त की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों का अवलोकन कर तनकिवाईज गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.2.19 को उपस्थित रहें।

14. निर्णय आज दिनांक 3.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा